संख्या– 1955/ ।।–2013–04(28)/03, टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 01 जूलाई 2013

विषयः **नाबार्ड की RIDF-XIII, XIV, XV, XVI एवं XVII योजनान्तर्गत सिंचाई विभाग की स्वीकृत परियोजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 462/XXVII(1)/2013, दिनांक 19.06.2013 एवं आपके पत्रसंख्या–6507/मुअवि/बजट/बी–1, सामान्य, दिनांक 25.06.2013 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0–1241/।।–2013–04(28)/03, टी0सी0 दि0–10.06.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड की क्रमशः RIDF-XIII, XIV, XV, XVI एवं XVII ट्रैन्च में निर्माणाधीन नलकूप/नहर/लिफ्ट योजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा अपने पत्रांक–राबै0 उत्तराखण्ड/1604/एल ओ एस–15/2013–14 दिनांक 19.06.2013 के परिशिष्ट–I (Annexurre-I) में उल्लिखित परियोजनावार प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि ₹ 5285.85 लाख (₹ बावन करोड़ पिचासी लाख पिचासी हजार मात्र) **संलग्नक–1** में वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए नाबार्ड द्वारा अवमुक्त किया गया है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(vii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।

(viii) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.......2

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा ।

(x) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(xi) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

(xii) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xiii) नाबार्ड के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 19.06.2013 तथा उसके साथ संलग्न **परिशिष्ट– 'ए' एवं 'बी'** की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(xiv) इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय में **संलग्नक–1** में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत 24 वृहत् निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 481/XXVII/(1)/13 दिनांक– 28 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1955 (1)/ II–2013–04(28)/03, टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–1 एवं वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः– 1955 / II–2013–04(28)/03, टी0सी0, दिनांक 01-7-13 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0सं0	योजना का लेखाशीर्षक	वर्ष 2013–14 हेतु बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	**अनुदान संख्या–20** लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–04 **नलकूपों का निर्माण** 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0201 नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना) –24 वृहत् निर्माण कार्य	6000.00	1480.328	3023.00
2	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 **निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें** 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	5500.00	525.55	2227.47
3	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 **उत्तरांचल की लघुडाल नहरों का पुनरोद्वार** 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0203 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	300.00	71.04	35.38
	योग	**11800.00**	**2076.918**	**5285.85**

(₹ बावन करोड़ पिचासी लाख पिचासी हजार मात्र)

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।